



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082023-248100  
CG-DL-E-14082023-248100

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 472]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त, 14, 2023/श्रावण 23, 1945

No. 472]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST, 14, 2023/SHRAVANA 23, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 602(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (वानस्पतिक सहायक) भर्ती नियम, 2015 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में वानस्पतिक सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण वानस्पतिक सहायक भर्ती नियम, 2023 है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे जुड़े वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में निर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट होंगी।

**4. निहर्ता - कोई व्यक्ति, -:**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति :-** जहाँ केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या अपवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों अन्य और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद
1	2	3	4	5
वानस्पतिक सहायक	92 (2023)*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह-ख अननुसचिवीय अराजपत्रित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400)	चयन पद

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
6	7	8	9	10
30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट) <b>टिप्पण:</b> आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन द्वारा सूचित करेगा।	आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वानस्पतिक विज्ञान/उद्यान विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री <b>टिप्पण:</b> अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार लिखित में दर्ज किए गए कारण के लिए शिथिल की जा सकती है।	आयु: नहीं; शैक्षिक अर्हताएं: अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वानस्पतिक विज्ञान अथवा उद्यान विज्ञान में बी.एस.सी. डिग्री होनी चाहिए।	2 वर्ष <b>टिप्पण:</b> केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार परिवीक्षा के सकल समापन के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि की इंडक्शन ट्रेनिंग होगी।	(i) 80% सीधी भर्ती द्वारा (ii) 20% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन से प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
<p><b>प्रोन्नति:</b></p> <p>ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा के साथ नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए स्तर-5 में वरिष्ठ संरक्षण सहायक और जो बीएसआई द्वारा या किसी अन्य संस्थान द्वारा आयोजित किए जाने वाले संबंधित क्षेत्र में 2-4 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हों।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां कनिष्ठों द्वारा जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली गई है, पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, परन्तु उन्होंने अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से आधे से अधिक ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा की हो या 2 वर्ष, जो भी, कम हो और उन्होंने अपने कनिष्ठों जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ-साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो,</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति :</b></p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधीन अधिकारी:</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर होना; अथवा</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 या समकक्ष के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में 6 (छह) वर्ष की नियमित सेवा के साथ।</p> <p>(ख) सीधी भर्ती के लिए निर्दिष्ट स्तंभ सं. 7 के अधीन निर्धारित योग्यता और अनुभव रखने वाले</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> फीडर श्रेणी में विभाग के अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्तिकर्ता प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित एक अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p><b>समूह 'ख': विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण – अध्यक्ष</li> <li>2. निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण- द्वारा नामांकित वैज्ञानिक 'एफ' या वैज्ञानिक 'ई'</li> <li>3. कार्यालय अध्यक्ष, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता-सदस्य</li> <li>4. कार्यालय अध्यक्ष, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण कोलकाता-सदस्य</li> </ol> <p><b>समूह 'ख': विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए);</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण – अध्यक्ष</li> <li>2. कार्यालय अध्यक्ष, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता-सदस्य</li> <li>3. कार्यालय अध्यक्ष, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण कोलकाता-सदस्य</li> </ol>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 (छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

[फा. सं. 01/35/2011-सीएसबी पार्ट]]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2023

**G.S.R. 602(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Botanical Survey of India (Botanical Assistant) Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Botanical Assistant in the Botanical Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:

- Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Botanical Survey of India, Botanical Assistant Recruitment Rules, 2023.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.** - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or  
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,  
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax** .— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving** .— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Level in the pay matrix	Whether selection post or Non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Botanical Assistant.	92 (2023) *Subject to variation depend on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level 6 (35400-112400/-) in the pay matrix	Selection post

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 30 years (relaxable for government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard)  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age- limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	<b>Essential:</b> M.Sc. Degree in Botany or Horticulture from a recognised university.  <b>Note:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, if the candidates are otherwise well qualified.	Age: No.  Educational Qualifications:  The candidate shall possess B.Sc. degree with Botany or Horticulture from a recognized university.	Two years  <b>Note:</b> There shall be an induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as specified by the Central Government.	(i) 80% by direct recruitment (ii) 20% by promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<b>Promotion:</b> Senior Preservation Assistants in Level-5 with six years regular service in the grade rendered offer appointment thereto and having successfully completed two to four weeks training programme in the relevant field conducted by Botanical Survey of India or any other training Institute as specified by the Central Government.  <b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have	<b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consist of:</b> (i) Director, Botanical Survey of India- Chairman; (ii) Scientist 'F' or Scientist 'E', BSI nominated by Director, Botanical Survey of India- Member; (iii) Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata- Member; (iv) Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata- Member.  <b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consist of:</b> (i) Director, Botanical Survey of India- Chairman; (ii) Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata- Member; (iii) Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

<p>successfully completed their probation for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers under the Central Government or State Government or Union Territory Administration:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-5 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department.</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience specified in Column (7) for direct recruitment.</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on closing date of receipt of the application.</p>		
--	--	--

[F. No. 01/35/2011-CSB (Pt.)]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.